भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3752
सोमवार, 24 मार्च, 2025 / 03 चैत्र, 1947 (शक)

गिग कार्मियों के अधिकार

3752. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार गिग कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशिष्ट केन्द्रीय कानून के अभाव में सरकार गिग कर्मियों के श्रम अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है;

(ग) क्या सरकार की देश में विशेष रूप से गिग कर्मियों के अधिकारों के संबंध में कोई केन्द्रीय विधान लाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में उपलब्ध कराया गया है जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

इस संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, आदि से संबंधित समुचित सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का उपबंध है।

ऑनलाइन प्लेटफार्मों के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को अपनी बजट घोषणा में उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।

******